न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 115/2024 दायर दिनांक 24.10.2024

उनवान

1. रामकन्याबाई पत्नि बिरदीचन्द जाति सुधार नि. सुनेल तहसील सुनेल
– वादीया

बनाम

1. सन्तोषबाई पत्नि श्याममनोहर जाति सुथार नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. रंगलाल पि. अमरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. शाखा प्रबन्धक महोदय एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़
4. शाखा प्रबन्धक महोदय बडोदा राज.क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

अभिभाषक वादीया – श्री रमेशचन्द सोनी
प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा

निर्णय दिनांक 09.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषका वादीया उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम सामरिया के खाता सं. 382 की आराजी ख.न. 1106/374 रकबा 2.1119 हैक्टेयर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2025 के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जे के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काप्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक/[illegible]/2025/[illegible] दिनांक 22.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादीया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीया की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादीया के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम सामरिया के खाता सं. 382 की आराजी ख.न. 1106/374 रकबा 2.1119 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादीया के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	रामकन्याबाई पत्नि बिरदीचन्द जाति सुधार नि. सुनेल रहन HDFC झालावाड	1106/374	1.0180	बीड प्रथम माल प्रथम
2.	सन्तोषबाई पत्नि श्याममनोहर जाति सुथार नि. सुनेल रहन BRKGB सुनेल	1106/374/1	1.0560	बीड प्रथम माल प्रथम
3	खाता सरकार	1106/374/2	0.0379	गे.मु.रास्ता

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 115 / 2024

दायर दिनांक 24.10.2024

उनवान

1. रामकन्याबाई पत्नि बिरदीचन्द जाति सुधार नि. सुनेल तहसील सुनेल

– वादीया

बनाम

1. सन्तोषबाई पत्नि श्याममनोहर जाति सुथार नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. रंगलाल पि. अमरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. शाखा प्रबन्धक महोदय एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड
4. शाखा प्रबन्धक महोदय बडोदा राज.क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

अभिभाषक वादीया – श्री रमेशचन्द सोनी

प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..............................मिनजाबिन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादीया के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम सामरिया के खाता सं. 382 की आराजी ख.न. 1106/374 रकबा 2.1119 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादीया के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	रामकन्याबाई पत्नि बिरदीचन्द जाति सुधार नि. सुनेल रहन HDFC झालावाड	1106/374	1.0180	बीड प्रथम माल प्रथम
2	सन्तोषबाई पत्नि श्याममनोहर जाति सुथार नि. सुनेल रहन BRKGB सुनेल	1106/374 /1	[illegible]	बीड प्रथम माल प्रथम
3	खाता सरकार	1106/374 /2	0.0379	गे.मु.रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सुनेल .उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

निज ....X..............मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ....X.............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner